

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजा पुत्र हरिश्चन्द्र वाल्मिकी निवासी नैगवा केन्ट कोतवाली फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 04/2023 वाद स०- 4579/2024 धारा- 379,411 भा०द०वि० थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 28.11.2024 को मा० न्यायालय एसीजेएम/एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 08 माह का साधारण कारावास व 01 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एपीओ- श्री शीलेन्द्र सिंह



कोर्ट मोहरीर म०का० चांदनी



पैरोकार का० कलदीप

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि०-28.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शिवकुमार पुत्र जगवीर सिंह निवासी कटरी सथरा थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 73/2024 वाद स०- 13423/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 28.11.2024 को मा० न्यायालय एसीजेएम/एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 05 माह का साधारण कारावास व 500 रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्री शीलेन्द्र सिंह



कोर्ट मोहर्रिर म०का० चादनी



पैरोकार का० का० बब्लू कुमार

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि०-28.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र रामपाल नि० कन्हऊ पट्टिया कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 384/2016 वाद स०- 59/2016 धारा- 354A/452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 28.11.2024 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप कुमार



कोर्ट मोहररि हे०का० राजेन्द्र कुमार



पैरोकार का० गोलाम घोस



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दिनांक-28.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सर्वेश पुत्र मुन्नालाल निवासी गढी असरफ अली थाना मऊदरवाजा जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०-10/2024 वाद स०- 2865/2024 धारा- 401 भा०द०वि० थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 28.11.2024 को मा० न्यायालय एसीजेएम/एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 01 वर्ष का साधारण कारावास व 01 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्री शीलेन्द्र सिंह



कोर्ट मोहरीर म०का० चादनी



पैरोकार का० नितिन कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमसाबाद

दि०-28.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामदास पुत्र नौबतराम निवासी फरीदपुर मंगली थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 100/2024 वाद स०- 9462/2024 धारा- 379,411 भा०द०वि० थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 28.11.2024 को मा० न्यायालय एसीजेएम/एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 माह का साधारण कारावास व 01 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्री शीलेन्द्र सिंह



कोर्ट मोहरीर म०का० चादनी



पैरोकार हे०का० प्रमोद कुमार

